uxj iapk;r Tokykeq[kh] rglhy Tokykeq[kh] ftyk dkaxM+k] fgekpy izns'k ds ys[kksa dk vads{k.k o fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 1-4-09 ls 31-3-12

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd%&

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेष के अवधि 4/09 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

vads{k.k vof/k ds nkSjku vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds in ij fuEufyf[kr v/;{k o lfpo dk;Zjr jgs%&

¼1½ v/;{k

Øekad	uke	vof/k
1	श्रीमति मनीषा षर्मा	01.04.2009 से 31.1.11
2	श्रीमति अनिल प्रभा	1.02.12 से लगातार

¼2½ lfpo

Øekad	uke	vof/k
1	श्री संजय कुमार	1.4.09 से 13.1.10
2	श्रीमहेष दत्त षर्मा	18.1.10 से 11.7.10
3	श्रीहमति कंचन वाला	12.7.10 से 24.8.11
4	श्री जगपाल सिंह	8.9.11 से 23.10.11
5	श्री जगपाल सिंह	5.11.11 से लगातार

¼x½ uxj iapk;r Tokykeq[kh dh ys[kk vof/k 04@2009 ls 03@2012 esa ikbZ xbZ xEHkhj vkifÙk;ksa dk laf{kIr lkj ½&

Ø0 l0	xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lEcfU/kr lkj	iSjk la[;k	jkf'k ₹ yk[k esa
1	सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित राषि पर बैंक द्वारा कम ब्याज देने बारे।	6	0.87
2	अवधि 1.4.09 से 31.3.12 के दौरान गृहकर की वसूली नाममात्र होना व दिनांक 31.3.12 को गृहकर की वसूली हेतु षेष पाई जाना।	8 (क)	88.32
3	गृहकर का निर्धारण निर्धारित दरों पर न करने के कारण आय की हानि	8 (ख)	30.98
4	दुकानों के किराए के रूप में दिनांक 31.3.12 को वसूली हेतु षेष	9	54.00
5	जिला समाहर्ता के न्यायलय के निर्णयानुसार श्रीमति कृष्णा रत्न दुकान नम्बर 110 से ब्याज के रूप में वसूली न करने बारे।	10	0.80
6	नगर पंचायत द्वारा अतिथि गृह के मासिक किराये के रूप में वसूली तथा विलम्ब षुल्क की वसूली न करना	14	1.05
7	दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में दिनांक 31.3.12 को वसूली हेतु षेष	15	0.31
8	बस अडडा कार पार्किंग को ठेका/नीलामी वर्ष 2009–10 की तुलना मे वर्ष 2010–11 में कम मूल्य पर करने की वजह से नगर पंचायत ज्वालामुखी को वित्तीय हानि	16	4.80
9	बस स्टैन्ड में निर्मित षौचालय का ठेका वित्तीय वर्ष 2009–10 की दरों की तुलना कम दरों पर देने के कारण नगर पंचायत ज्वालामुखी को वित्तीय हानि बारे।	17	0.43
10	मोबाईल टावर नवीनीकरण फीस दण्ड षुल्क के रूप में वसूली हेतु षेष	18	0.48
11	श्री हरपाल सिंह, सफाई सेवक को बकाया वेतन के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	22	1.98
12	नगर पंचायत कर्मचारियों को विषेष वेतन के रूप में व वाहन भत्ते	23	2.05

	के रूप का गलत एवं अनियमित भुगतान		
13	ए0सी0पी0. के अन्तर्गत प्रदान की गई वेतन वृद्धि का निर्धारित वास्तविक दर से अधिक प्रदान करने के कारण नगर पंचायत कर्मचारियों को वतन एवं भत्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान	24	0.30
14	संशोधित वेतनमानों की बकाया राषियों मे से तथा वर्ष 2010–11 के वेतन में से आयकर की निर्धारित दरों के अनुरूप आयकर की कटौती न करने के कारण आयकर की कम कटौती	25	0.46
15	श्री अषोक कुमार सूद ठेकेदार को अधिक एवं गलत भुगतान	29	0.47

¼x½ xr vad{k.k ifrosnu ¼&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vad{k.k¼&

नगर पंचायत ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/09 से 3/12 के लेखों का अंकेक्षण, श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री सुषील कुमार आर्टिकल असिस्टैन्ट द्वारा दिनांक 30.6.12 से 14.8.2012 के दौरान नगर पंचायत ज्वालामुखी में किया गया। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है।

vk;%& 5/09, 3/11, 1/12

O;;%&3/10, 3/11, 6/11

यहां पर यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 vads{k.k 'kqYd%&

नगर पंचायत ज्वालामुखी के अवधि 4/09 से 3/12 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹38500/—आंका गया है। इस राषि का भुगतान नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ज्वालामुखी के बैंक ड्राफ्ट संख्या 014301 दिनांक 13.8.12 के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला—9 को कर दिया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr%&

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई अवधि 1.4.09 से 31.3.12 की स्वयं व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय की वित्तीय स्थिति का विवरण परिषिष्ट "A" पर संलग्न है। रोकड़ वही का बैंक से समाधान का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "B" व दिनांक 31.3.12 को बैंक में निवेष की गई राषि का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट "C" पर संलग्न है।

5 lkof/k tek ;kstuk%&

नगर पंचायत ज्वालामुखी में दिनांक 31.3.12 को सावधि जमा योजना में "Own Sources" तथा "Grants" में ₹7303848/—निवेषित की गई है जिसका विवरण परिषिष्ट "C" पर दिया गया है।

6 lkof/k tek ;ktuk d vUrxr fuof'kr jkf'k ij cd }kjk ₹87210@&de C;kt nu ckj&

जांच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा एस0बी0आई0 ज्वालामुखी व पी0एन0बी0 ज्वालामुखी में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित राषि पर बैंक द्वारा परिपक्वता मूल्य पर देय ब्याज की तुलना में कम ब्याज दिया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:–

cd dk uke@,Q0Mh0vkj0@fuo'k dh frfFk	fuof'kr jkf'k	C;kt nj	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k	ikIr dh xbl jkf'k	vUrj
एस0बी0आई0 ज्वालामुखी 30775908369 28.5.09	3230000	7.25 %	28.5.10	3470619	3445834	24785
एस0बी0आई0 ज्वालामुखी 30775908369 28.5.10	3445834	6 %	28.5.11	3657283	3635502	21781
एस0बी0आई0 ज्वालामुखी 30775908369 28.5.11	3635502	8.25 %	28.5.12	39448338	3912974	31864
पी0एन0बी0 ज्वालामुखी 071700 MB. 00000608 8.3.11	3654388	9 %	8.3.12	3994551	3985771	8780
					;kx	₹87210

अतः कम ब्याज दिए जाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बैंकों से कम दी गई ब्याज की राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 vuqnku%&

अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर पंचायत ज्वालामुखी को प्राप्त अनुदान तथा उसमें किए गए व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ vuqnkuksa dk :i esa izkIr jkf'k;ksa dk fu/kkZfjr le;kof/k esa O;; u djuk o fnukad 31-3-12 dk ₹25475270@&dk 'ks"k ik;k tkuk%&

अंकेक्षण को परिषिष्ट "डी" के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.12 को गत वर्षों में अनुदानो के रूप में प्राप्त राषियों में से ₹25475270/–व्यय हेतु षेष पाई गई। अनुदान राषियों का अत्याधिक मात्रा में षेष रहना व अनुदान राषियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देष्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहां एक तरफ अनुदानों का अनावष्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत ज्वालामुखी के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए है। अतः व्यय हेतु षेष अनुदान की ₹25475270/–को निर्धारित उद्देष्यों एवं लक्ष्यो पर व्यय किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। व्यय हेतु षेष का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

foÙkh; o"kZ	vkjfEHkd 'ks"k	o"kZ dk nkSjku izkIr jkf'k	dqy ;ksx	o"kZ dk nkSjku O;; jkf'k	O;; gsrq 'ks"k jkf'k
2009–10	7974705	9145256	17119961	6108114	11011847
2010–11	11011847	9158794	20170641	8430794	11739847
2011–12	11739847	20433647	32173494	6698224	25475270

¼[k½ vads{k.k vof/k ds nkSjku O;; n'kkZbZ xbZ vuqnku dh ₹21237132@&dk fu/kkZfjr mís';ksa ,oa y{;ksa dh izkfIr gsrq O;; djus dh izekf.kdrk dk u gksuk o mi;ksfxrk izek.k i=ksa dk izLrqr u djuk%&

अंकेक्षण में उपलब्ध सूचना परिषिष्ट "डी" के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदान के रूप में ₹38737697/–प्राप्त हुए है तथा इस अवधि में ₹21237132/–निर्धारित उद्देष्यों एवं लक्ष्यों हेतु व्यय किए गए दर्षाए है। उक्त अनुदान के रूप में प्राप्त राषि की

अनुदान रजिस्टर में प्राप्ति की प्रविष्टियॉ दर्ज है लेकिन अनुदान की राषि जिन–2 उद्देष्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत को प्राप्त हुई थी उन्ही उद्देष्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर पंचायत द्वारा व्यय की गई है, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि अनुदान रजिस्टर में अनुदान राषि के निर्धारित उद्देष्यों एवं लक्ष्यो पर व्यय करने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा अनुदानो के व्यय से सम्बन्धित जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्येक अनुदान राषि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/दिनांक, बिल/वाउचर इत्यादि अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाए व सत्यापना हेतु सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

8 x`gdj%&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में गृहकर की वसूली तथा इसके निर्धारण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

¼d½ vof/k 1-4-09 ls 31-3-12 dh nkSjku x`gdj dh olwyh ukeek= gksuk o fnukad 31-3-12 dks x`gdj dh ₹8832044@&olwyh gsrq 'ks"k ikbZ tkuk%&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को परिषिष्ट "ई" के अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत में दिनांक 1.4.09 को गत वर्षों के गृहकर के रूप में ₹6602796/–वसूली हेतु षेष थे। अवधि 1.4.09 से 31.3.12 के दौरान ₹2323896/–की अतिरिक्त मांग की गई जिसमें से केवल ₹94648/–वसूल किए गए व 31.3.12 को गृहकर की ₹8832044/–वसूली हेतु षेष पाई गई। इस प्रकार गत तीन वर्षों में गृहकर की केवल ₹94648/–की ही वसूली की गई जोकि गृहकर वसूली हेतु कुल षेष राषि 0.01% है। अतः गृहकर वसूली हेतु षेष ₹89 लाख मे ंसे केवल एक लाख से भी कम अर्थात 0.01% वसूली करना आपत्तिजनक है। इस सन्दर्भ में यहॉ पर यह भी वर्णीत किया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा दिन प्रतिदिन भवन निर्माण बिजली पानी व सीवरेज हेतु अनापति प्रमाणपत्र जारी किए जाते है। अगर नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली करने की दृढ़ इच्छा षक्ति रखी जाती तब उक्त अनापति प्रमाण पत्रों को जारी करने पर अस्थायी तौर पर रोक लगाकर कई लाखों रूप्ये गृहकर की वसूली की जा सकती थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा आज दिन तक किसी भी व्यक्ति को भी गृहकर की वसूली हेतु नोटिस जारी नहीं किया है व न ही गृहकर की

वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई गई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेष नगर पालिका अधिनियम की धारा 258 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि गृहकर के रूप में वसूली हेतु षेष ₹8832044/–की वसूली सम्भव हो सके व नगर पंचायत ज्वालामुखी की अपने स्त्रोतों की आय मे ंवृद्धि सम्भव हो सके। इस प्रकरण में कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ xgdj dk fu/kkj.k fu/kkfjr njks ij u djus ds dkj.k ₹3098526@&dh vk; dh gkfu%&

निदेषक, षहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्या यू0डी0–एच(सी)(10)–7/98 दिनांक 17.11.03 के अन्तर्गत राज्य वित्त आयोग की सिफारिषों को लागू करने के प्रयोजन से प्रत्येक षहरी निकाय को गृह कर की दर का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित प्रकार से किया जाना अपेक्षित था।

foÙkh; o"kZ	xg dj dh izfr'krrk
2002–03	7.5%
2003–04	8.5%
2004–05	10%
2005–06	11.5%
2006–07	12.5%

निदेशक षहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष सरकार के स्पष्ट आदेषों के बावजूद नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा लगभग 6 वर्ष बाद भी गृहकर की गणना वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 में 7½% की दर से की गई है व गत 10 वर्षों से कभी भी उक्त प्रतिषतता नहीं बढ़ाई गई है। इस प्रकार नगर पंचायत को वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान केवल 6 वर्षों में ही लगभग ₹3098526/–की आय की हानि हुई है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

foÙkh; o"kZ	7½% ls xgdj dh x.kuk	12½% dh nj ls xgdj dh x.kuk	vUrj
2006–07	774632	1291053	516421
2007–08	774632	1291053	516421
2008–09	774632	1291053	516421
2009–10	774632	1291053	516421
2010–11	774632	1291053	516421
2011–12	774632	1291053	516421
		;kx	₹3098526

अतः परामर्ष दिया जाता है कि नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा गृहकर का निर्धारण 12½% की दर से करना सुनिष्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत की अपने स्त्रोतों से आय की बढ़ौतरी सम्भव हो सके व नगर पंचायत में अधिक से अधिक विकासात्मक कार्य करवाये जा सके।

इसके अतिरिक्त षहरी विकास विभाग के पत्र संख्या नं0 यू0डी0एच0(सी)(10)–7/98–II, दिनांक 5.08.04 के अनुसार द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिषों के अनूरूप गृहकर की दर वार्षिक मूल्य के आधार पर 7½% से लेकर 12½% के बीच निर्धारित की जानी अपेक्षित थी व वित्तीय वर्ष 2006–07 में 100% अनुदान की राषि प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 से गृहकर की दर 12½% निर्धारित की जानी अनिवार्य थी। उक्त दिषा निर्देषों का पालन करने पर ही नगर पंचायत की गत वर्षों में अनुदान के रूप में 25% कम प्राप्त राषि की प्राप्ति भी सम्भव हो सकती थी परन्तु नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा 8 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी निदेषालय षहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष की उक्त पत्र में दिए गए स्पष्ट निर्देषों की अनुपालना नहीं की है। जिसके फलस्वरूप गत वर्षों में 25% कम प्राप्त हुई अनुदान राषि अभी तक नगर पंचायत ज्वालामुखी को प्राप्त नहीं हो सकी। इस प्रकार 25% अनुदान राषि प्राप्त न होने हेतु नगर पंचायत ज्वालामुखी स्वयं उत्तरदायी है। अतः सुझाव दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में गृहकर का आंकलन वार्षिक मूल्य के आधार

पर निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप 12½% की दर से किया जाए व तदोपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि गत वर्षों में अनुदानों के रूप में 25% कम प्राप्त राषि को प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।

9 nqdkuks dk fdjk, dk :i esa fnukad 31-3-2012 dks ₹5400443@&olwyh gsrq 'ks"k&

नगर पंचायत द्वारा परिषिष्ट "ई–ii" के अनुसार अंकेक्षण को उपलबध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.12 को दुकानदारों से किराये के रूप में ₹5400443/–वसूली हेतु षेष थे। हिमाचल प्रदेष म्यूनिसीपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राषि टैक्स म्यूनिसिपल षुल्क इत्यादि के रूप में देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव कर देय राषि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था व्यक्ति को वारंन्ट जारी करेगा तथा वान्रट जारी करने के वावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्ष दिया जाता है कि दुकानो के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवई करनी सुनिष्चित की जाए।

10 ftyk lekgrkZ dk U;k;y; dk fu.kZ;kuqlkj Jhefr d".kk jkuh nqdku uEcj 110 ls ₹3603@&C;kt dk :i esa o ₹76800@& fdjk;s dk :i esa vFkkZr dqy ₹80403@&dh olwyh u djus ckjs&

नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा जिला समाहर्त्ता कांगड़ा में उक्त दुकान दर से किराया वसूली हेतु दायर केस नम्बर 2/2006 का निर्णय जिला समाहर्ता द्वारा दिनांक 20.'11.06 को दिया गया। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि उक्त दुकानदार दिनांक 20.12.06 से पहले के बकाया किराये की ₹122172/–जमा करवायेगा व 20.12.2006 के बाद किराया जमा करवाने पर 15% वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगा व 20.11.06 के उपरान्त जब तक दुकान

उसके कब्जे में रहेगी तब तक प्रति माह ₹1200/– किराया नगर पंचायत को भुगतान करेगा। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त दुकानदार द्वारा जिला समाहर्त्ता के निर्णयानुसार ₹122172/–निम्नलिखित विवरणानुसार जमा करवा दिए गए है।

Ø0 l0	fnukd	th&8 oEcj	jkf'k
1	21.12.06	67/551	22172
2	2.3.07	80/556	50000
3	3.4.07	56/561	50000

उपरोक्त विवरण से यह स्वतः स्पष्ट है कि सम्बन्धित दुकानदार द्वारा जिला समाहर्ता के न्यायलय के निर्णय की अनुपालना नहीं की है व बकाया ₹122172 निर्धारित अवधि 20.12.06 से पहले जमा नहीं करवाई गई है, फलस्वरूप उक्त दुकानदार से जिला समाहर्ता के न्यायलय के निर्णयानुसार 15% वार्षिक दर से निम्न विवरणानुसार ब्याज ₹3603/–वसूली की जानी अनिवार्य थी।

Ø0 l0	cdk;k jkf'k	tek djokus dh frfFk	ftru fnu njh l tek djok, g	C;kt dh jkf'k
1	22172	21.12.06	1	9
2	50000	2.3.07	71	1458
3	50000	3.4.07	104	2136
			;kx	₹3603

परन्तु नगर पंचायत द्वारा जिला समाहर्ता के न्यायलय के स्पष्ट निर्णय के वाबजूद उक्त दुकान से की ब्याज की ₹3603/–नहीं वसूली गई तथा अवधि 1.12.06 से 31.3.12 का उक्त दुकानदार से 64 माह का ₹1200/–प्रतिमाह की दर से ₹76800/–किराया भी नहीं वसूला गया, जो कि आपतिजनक है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि जिला समाहर्ता के निर्णयानुसार उक्त दुकानदार से ब्याज की ₹3603/–व किराये की षेष ₹76800/–की

अविलम्ब वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 vu|cU/k dh ’krk dk vu|:i 5 o"k mijkUr fdjk;s e 10% of) u dju dk dkj.k ₹8460@&dh de olyh%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित दुकानदारों से अनुबन्ध की षर्तों के अनुसार किराये मे ंवृद्धि न करके किराये की कम वसूली की गई है जबकि अनुबन्ध की षर्त–II मे स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमानुसार किराये में 10% की वृद्धि की जायेगी व प्रत्येक 5 वर्ष बाद पटटे का नवीनीकरण करवाया जाएगा परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके वास्तविक किराये मे ंवृद्धि नहीं की गई है। अतः दुकानदारों के किराये में वृद्धि न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व किराये में नियमानुसार वृद्धि करके सम्बन्धित दुकानदारों से अपेक्षित राषि की वसूली करने उपरान्त यह राषि नगर पंचायत निधि मे ंजमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस प्रकरण में नियमानुसार वृद्धि न करके किराये के रूप में कम वसूली का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

n|dku l0	n|dkunkj dk uke	ekfld fdjk;k	of) mijkUr olyh ;kX; fdjk;k	olyk x;k fdjk;k	vUrj	de olyk x;k fdjk;k ¼₹½
20	अजय कुमार	700	700+700x10%=770	700	70	दिनांक 1.10.10 से 31.3.12 =18x70=1260
19	अजय कुमार (रेस्टोरैन्ट)	4000	4000+4000x10%=4400	4000	70	दिनांक 1.10.10 से 31.3.12 =18x400=7200
				d|y ;kx		₹8460

12 **vu|cU/k dh 'krk d vu|lkj n.M 'k|Yd u ol|yu d dkj.k foŸkh; o"k 2010&11 e ₹800@& o 2011&12 e ₹6400@& vFkkr d|y ₹7200@& dh de ol|yh&**

नगर पंचायत के बस अडडा एवं कार पार्किंग की नीलामी से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की षर्त–4 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि अर्थात प्रत्येक माह की 5 तारीक तक किष्त की राषि जमा नहीं करवाता है तो उस अवस्था में उससे ₹100/– प्रतिदिन की दर से दण्ड षुल्क वसूला अनिवार्य है लेकिन नगर पंचायत द्वारा अनुबन्ध की उक्त षर्त की अनुपालना न करने के कारण निम्नविवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹800 व 2011–12 में ₹6400 अर्थात कुल ₹7200/–की दण्ड षुल्क की वसूली नहीं की गई है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त दण्ड षुल्क की ₹7200/– की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उत्तरदायी अधिकार/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

foŸkh; o"k 2010&11

Ø0 l0	fd'r Hkqxrku dh frfFk	ftru fnu fd'r njh l nh xbZ	n.M 'k|Yd dh nj ifrfnu	n.M 'k|Yd dh jkf'k	Bdnkj dk uke
1	9.6.10	4 दिन	100	400	ठाकुर एंड कम्पनी
2	6.7.10	1 दिन	100	100	ठाकुर एंड कम्पनी
3	8.11.10	3 दिन	100	300	ठाकुर एंड कम्पनी
			;kx	₹800	

foŸkh; o"k 2011&12

1	12.5.11	7 दिन	100	700	श्री राजीव कालिया
2	13.6.11	8 दिन	100	800	श्री राजीव कालिया
3	12.7.11	7 दिन	100	700	श्री राजीव कालिया

4	11.8.11	6 दिन	100	600	श्री राजीव कालिया
5	7.9.11	2 दिन	100	200	श्री राजीव कालिया
6	13.10.11	8 दिन	100	800	श्री राजीव कालिया
7	15.11.11	10 दिन	100	100	श्री राजीव कालिया
8	21.12.11	16 दिन	100	1600	श्री राजीव कालिया
			;kx	₹6400	
	dqy ;kx ¼₹800$₹6400½			₹7200	

13 vuqcU/k dh 'krksa ds vuq:i nqdkunkjksa ls foyEc n.M 'kqYd u olwyus ds dkj.k ₹6280@& dh de olwyhA&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराये पर दी गई दुकानों का सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा किराया देने से जमा करवाने के कारण सम्बन्धित दुकानदारों से विलम्ब दण्ड षुल्क नहीं वसूला गया है जबकि अनुबन्ध की षर्त–2 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई दुकान का कोई किरायेदार महीने की 5 तारीख तक किराए का भुगतान नहीं करता है तो उससे 6 तारीख से एक रूप्ये प्रतिदिन की दर से विलम्ब दण्ड षुल्क वसूला जाएगा लेकिन नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना न करके विलम्ब दण्ड षुल्क नहीं वसूला गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करके दुकानदारों द्वारा किराया देरी से जमा करवाने के बावजूद भी विलम्ब दण्ड षुल्क न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से सभी दुकानदारों से किराया देरी से जमा करवाने के कारण विलम्ब दण्ड षुल्क की वसूली नियमानुसार की जानी अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा वसूल नहीं किए गए विलम्ब दण्उ षुल्क का विवरण परिषिष्ट "ख" पर उल्लेखित एवं संलग्न है जिसके अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों से विलम्ब दण्ड षुल्क की ₹6280/–की वसूली करनी अपेक्षित थी।

14 uxj iapk;r }kjk vfrfFk x`g ds ekfld fdjk;s ds :i esa ₹1]05]000@& dh olwyh rFkk foyEc 'kqYd dh olwyh u djukA&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बस स्टैन्ड पर निर्मित अतिथि गृह ₹21000/–मासिक किराये पर दिनांक 2.3.09 को अविनाष एण्ड कम्पनी को आबंटित

किया गया व नगर पंचायत ज्वालामुखी के पत्र संख्या एन0पी0जे0/2009–543 दिनांक 6.6.09 के अन्तर्गत उक्त संविदाकार को इस अतिथि गृह की मुरम्मत करवाने हेतु 3 माह का समय दिया गया व तदानुसार माह 9/09 में उक्त संविदाकार से ₹21000/– प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जाना अनिवार्य था, लेकिन संविदाकार द्वारा माह 9/09 से 25.2.11 तक कोई भी किराये की किष्त नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध के अनुसार संविदाकार से विलम्ब षुल्क 15% की दर से वसूला जाना अनिवार्य है परन्तु नगर पंचायत द्वारा अपेक्षित वसूली उक्त संविदाकार के विरूद्ध कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप दिनांक 31.3.2012 तक उक्त संविदाकार से मासिक किराये के रूप में देय ₹651000/– में से केवल ₹546000/–ही प्राप्त किए गए व विलम्ब दण्ड षुल्क के रूप में षुन्य प्राप्त हुई है। इस प्रकार पंचायत द्वारा किराये की वसूली हेतु प्रभावी कार्य प्रणाली अमल में न लाने के कारण उक्त संविदाकार से दिनांक 31.3.12 को मासिक किराये के रूप में ₹105800/– षेष पाई गई। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा 15% की दर से लिम्ब षुल्क की वसूली भी नहीं की गई जिसकी संस्था स्तर पर भी जांच की जानी अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा किराया मांग व संग्रह रजिस्टर में विलम्ब षुल्क की मांग कभी भी दर्ज नहीं की गई है जो कि स्वयं एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः मासिक किराये व विलम्ब षुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व संस्था स्तर पर आवष्यक जॉच के पष्चात सम्बन्धित ठेकेदार से किराये के रूप में ₹105000/– व विलम्ब दण्ड की वसूली की जानी सुनिष्चित किए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अविलमब अवगत करवाया जाए। यहां पर यह भी वर्णित किया जाता है कि विलम्ब षुल्क की निर्धारित 15% की दर से विस्तृत गणना संस्था स्तर पर भी की जाए तथा मूल राषि के अतिरिक्त वसूली हेतु भी आवष्यक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 n|dkunkjk l 0;olkf;d d :i e fnukd 31-3-12 dk ₹31196@&o lyh gr 'k"k ik;k tkuk&

अंकेक्षण को परिषिष्ट "ई–III" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.12 को दुकानदरों से व्यवसायिक कर के रूप में ₹31196/– वसूली की जानी षेष थी। हिमाचल प्रदेष म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राषि टैक्स,

षुल्क म्यूनिसिपिल का देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह अदत रहती है तब नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा तथा नियम 258, उपनियम (2) व (3) में किए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति यदि नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सचिव देय राषि सभी खर्चों व लागत सहित वूसलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारन्ट जारी करेगा तथा इसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा व्यवसायिक कर की वसूली हेतु उक्त प्रावधानो के अनुसार कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्ष दिया जाता है कि षेष राषि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए।

16 cl vMMk dkj ikfdZx dk Bsdk@uhykeh o"kZ 2009&10 dh rqyuk esa o"kZ 2010&11 esa de eY; ij djus dh otg ls uxj iapk;r Tokykeq[kh dks ₹480000@&dh foÙkh; gkfu&

बस अडडा कार पार्किंग से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009—10 में बस अडडा एवं कार पार्किंग का ठेका ₹4755000/—में श्री नरेष चौहान ठेकेदार को दिया गया है व वित्तीय वर्ष 2010—11 में उक्त बस अडडा एवं कार पार्किग का ठेका ₹4275000/— में मैसर्ज ठाकुर एण्ड कम्पनी को दिया गया। वित्तीय वर्ष 2009—10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010—11 में उक्त ठेका कम दरों पर देने के कारण नगर पंचायत ज्वालामुखी को 4 लाख 80 हजार रूप्ये की वित्तीय हानि हुई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं। नियमानुसार बस अडडा पार्किंग का ठेका देने के लिए गत वर्ष में उक्त ठेके से प्राप्त राषि को आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाना अनिवार्य था व तदानुसार आरक्षित मूल्य से ऊपर नीलामी की जानी अपेक्षित थी व आरक्षित मूल्य से अधिक बोली न देने की अवस्था में ही उक्त नीलामी रदद करने उपरान्त पुनः नीलामी की जानी अपेक्षित थी लेकिन नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा नीलामी के नियमों की गम्भीर अवहेलना करते हुए वर्ष 2010—11 हेतु आरक्षित मूल्य 42 लाख निर्धारित किया गया व 12.3.2010 को उक्त ठेका नियमों के विपरीत ₹4275000/—में ठाकुर एण्ड कम्पनी को आबटित कर दिया जिसके फलस्वरूप वितीय वर्ष 2010—11 में ₹480000/—की वित्तीय हानि हुई है। यहॉ यह भी उल्लेखित करना आवष्यक है

कि नीलामी दिनांक 12.3.10 को हुई है व 5 दिन बाद डायरी नम्बर 376 दिनांक 18.3.10 को श्री नरेष चौहान जिसने वित्तीय वर्ष 2009–10 में उक्त ठेका ₹4755000/–में लिया था ने आवेदन दिया है कि मुझे नीलामी की सूचना नहीं दी गई है तथा उन्होने यह भी व्यक्त किया कि इस नीलामी को रद्द किया जाए क्योंकि वह गत वर्ष की ठेके की नीलामी को ₹4755000/– पर ठेका लेने को सहमत है परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा यह भी स्पष्ट किया जाए कि गत वर्ष की तुलना बस अडडा एवं कार पार्किंग का ठेका ₹4755000/–के स्थान पर ₹4275000/– में ठाकुर एंड कम्पनी को क्यों दिया गया।

17 cl LVS.M esa fufeZr 'kkSpky; dk Bsdk foÙkh; o"kZ 2009&10 dh njksa dh rqyuk de njksa ij nsus ds dkj.k uxj iapk;r Tokykeq[kh dks ₹43000@& dh foÙkh; gkfu%& बस स्टैन्ड ज्वालामुखी में निर्मित षौचालय का ठेका वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 हेतु निम्नलिखित दरों पर आबंटित किया गया हैः–

foÙkh; o"kZ	vk/kkj eY;@lqjf{kr eY;	Bsdk jkf'k	dh Bsdsnkj dk uke
2009–10	1 लाख	185000	राजू सुपुत्र श्री रामचन्द वार्ड नम्बर–7 ज्वालामुखी
2010–11	1.5 लाख	152000	राजू सुपुत्र श्री रामचन्द वार्ड नम्बर–7 ज्वालामुखी
2011–12	1.7 लाख	175000	राजू सुपुत्र श्री रामचन्द वार्ड नम्बर–7 ज्वालामुखी

उपरोक्त उल्लेखित विवरण से स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010–11 में उक्त षौचालय का ठेका वर्ष 2009–10 की तुलना में ₹33000/–और वर्ष 2011–12 में वर्ष 2009–10 की तुलना में ₹10000/–कम मूल्य पर दिया गया जिसके कारण नगर पंचायत ज्वालामुखी को गत दो वर्षों में ₹43000/–की वित्तीय हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित रहेगा कि नियमानुसार वित्तीय वर्ष

2009–10 में उकत षौचालय को ठेके पर देने से प्राप्त ₹185000/– को गत वर्ष 2010–11 हेतु आधार मूल्य/सुरक्षित मूल्य बनाकर उससे ऊपर बोली लगाई जानी अनिवार्य थी। इस प्रकार यदि नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना की होती तब नगर पंचायत को उक्त षीर्ष के अन्तर्गत अधिक आय प्राप्त हो सकती थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा गत तीन वर्षों से उक्त ठेका/नीलामी एक ही संविदाकार राजू सुपुत्र श्री राम चन्द वार्ड नम्बर–7 ज्वालामुखी को गत वर्षों की अपेक्षा कम दरों पर दिया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

18 ekckby Vkoj dh uohuhdj.k Qhl o n.M 'kYd d : i e ₹48137@&olyh gr 'k"k ik;k tkuk&

नगर पंचायत परीधि के अन्तर्गत 7 मोबाईल कम्पनियों के टावर स्थापित है। दिनांक 31.3.12 को इन मोबाईल कम्पनियों में निम्नलिखित राषियां नवीनीकरण षुल्क व दण्ड षुल्क के रूप में वसूली हेतु षेष पाई गईः–

Ø0 l0	ekckby Vkoj LFkkfir djus okyh dEiuh dk uke	fnukd 31-3-12 dk uohdj.k 'kYd d :i e olyh gr 'k"k jkf'k	foyEc n.M 'kYd dh jkf'k	dy olyh ;kX; jkf'k
1	टाटा इण्डिकॉम	16250	4687	20937
2	वोडाफोन–I	5000	750	5750
3	वोडाफोन–II	5000	750	5750
4	आईडिया	10000+3000	2700	15700
		(ऐन्टीना षेयरिग फीस राषि ₹3000)		
			39250	₹48137

नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से समयुानसार उक्त राषि भुगतान करने हेतु कभी भी पत्राचार नहीं किया गया व न ही कभी उक्त राषि की मांग की है जो कि अनियमित है। इसके अतिरिक्त उक्त मोबाईल कम्पनियों से वसूली जाने वाली स्थापना

फीस, नवीनीकरण फीस, एन्टीना षेयरिंग फीस, विलम्ब दण्ड षुल्को का लेखा–जोखा नहीं रखा गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व मोबाईल टावर स्थापना की तिथि से अप–टू–डेट सम्पूर्ण ब्यौरा सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा परामर्ष दिया जाता है कि उपरोक्त राषि अविलम्ब सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से वसूली जानी सुनिष्चित की जाए।

19 vk; dh ikfIr gsrq tkjh dh xbZ th&8 jlhnksa ds lUnHkZ esa&

निदेशक, षहरी विकास विभाग के पत्र संख्या 01/63/06–यू0डी0 (आडिट)–वी0ओ0एल0–1–12812, दिनांक 15.11.06 के अनुसार "प्रत्येक नगर पंचायत/पालिका समय–2 पर प्रस्ताव पारित करके यह निर्धारित करेगी कि नगर पंचायत/पालिका के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जी–8 हस्ताक्षरित की जाएगी" परन्तु नगर पंचायत ज्वलाामुखी द्वारा उक्त पत्र में विहित आदेषों की पालना नहीं की गई है और न ही नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र के अनुसार प्रतयेक जी–8 बुक पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र अर्थात "रसीद बुक में कितनी रसीदें है" द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोग हो चुकी जी–8 पर आवष्यक प्रमाण पत्र अर्थात "इस रसीद बुक के अन्तर्गत संग्रह की गई राषि का लेखांकन पूर्ण करने उपरान्त यह राषि पंचायत निधि में जमा करवा दी गई है" नहीं दिया जा रहा है जो कि उक्त पत्र के अन्तर्गत जारी दिषा निर्देषों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त पत्र के दिषा निर्देषों की अनुपालना न करने के कारणों को तथ्यों सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा तुरन्त प्रभाव से उक्त पत्र में उल्लेखित सभी निर्देषों की कड़ाई से अनुपालना की जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे।

20 fu;eksa ds foijhr v/;{kk] uxj iapk;r Tokykeq[kh ds vkoklh; Qksu ds fcy gsrq ₹3828@&dk xyr Hkqxrku djuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत निधि से श्रीमति मनीषा षर्मा, अध्यक्ष नगर पंचायत ज्वालामुखी के आवासीय फोन के बिलों के रूप में अवधि 3/09 से 11/10 के दौरान ₹3828/– का भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है। नगर पालिका अधिनियम 1994 में, अध्यक्ष नगर पंचायत के आवासीय लैंड लाईन फोन के बिलों का नगर पंचायत निधि से भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नियमों के विपरीत अध्यक्ष नगर पंचायत ज्वालामुखी को आवासीय लैंड लाईन फोन के बिलों के व्यय की प्रतिपूर्ति नगर पंचायत निधि

से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पूर्ण राषि की वसूली सम्बन्धित अध्यक्ष श्रीमति मनीषा षर्मा से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इस सन्दर्भ में नियमों के विपरीत अध्यक्षा, नगर पंचायत ज्वालामुखी के आवासीय फोन नम्बर 01970–222345 के बिलों की प्रतिपूर्ति जो नगर पंचायत निधि से की गई है, उसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

Ø0 l0	vof/k	jkf'k
1	3/09 से 4/09	265
2	5/09 से 6/09	265
3	7/09 से 8/09	265
4	9/09 से 10/09	344
5	11/09 से 12/09	265
6	1/10 से 2/10	330
7	3/10 से 4/10	622
8	5/10 से 6/10	497
9	7/10 से 8/10	460
10	9/10 से 10/10	383
11	1.11.10 से 30.11.10	132
	dqy ;kx	₹3828

21 lfpo uxj iapk;r Tokykeq[kh dks lsyQksu 0;; dh :i esa ₹2600@& dk vf/kd Hkqxrku%&

पत्र संख्या UD(H)(C)-(7)-19/97-II-10199 से 10246 दिनांक 15.9.07 के अन्तर्गत सचिव नगर पंचायत को ₹200/–प्रतिमाह/₹400 द्विमासिक की दर से सैलफोन व्यय व ₹400/– प्रतिमाह की दर से आवासीय लैंडलाईन फोन व्यय की प्रतिपूर्ति निर्धारित की गई। उक्त पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवासीय लैंडलाईन फोन का प्रबन्धन सचिव द्वारा ही किया जाना है तथा इस प्रकार सचिव नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा आवासीय लैंडलाईन फोन की व्यवस्था नहीं की है। फलस्वरूप उन्हें केवल सैलफोन व्यय की प्रतिपूर्ति ₹200/– प्रतिमाह/ ₹400/–द्विमासिक की जानी है परन्तु नगर पंचायत जवालामुखी द्वारा

उक्त पत्र की अवहेलना करते हुए सचिव नगर पंचायत ज्वालामुखी श्रीमति कंचन बाला को अवधि 7/10 से 7/11 के दौरान कुल 13 महीने ₹400 प्रतिमाह की दर से ₹5200/–सैलफोन व्यय की प्रतिपूर्ति की गई है जबकि उक्त अवधि हेतु उन्हें ₹200/– प्रतिमाह की दर से 13 माह हेतु ₹2600 ही देय थी। अतः नियमों के विपरीत भुगतान की गई ₹2600/–की वसूली सम्बन्धित सचिव से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 Jh gjiky flg lQkbZ lsod dks cdk;k osru dk :i esa ₹198782@&dk vf/kd ,oa xyr Hkqxrku&

श्री हरपाल सिंह सफाई सेवक को वाऊचर संख्या 44 दिनांक 30.4.11 के अन्तर्गत ₹228139/–का बकाया वेतन का भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

अवधि 1.1.96 से 31.3.11 तक का बकाया वेतन	₹145552
अवधि 1.1.96 से 31.3.11 तक के बकाया वेतन पर प्रतिवर्ष 6% वार्षिक दर से ब्याज	₹82587
dqy ;kx	₹228139

उपरोक्त भुगतान उक्त कर्मचारी को माननीय उच्च न्यायलाय में दायर याचिका केस नम्बर CWP(T) No. 5871 वर्ष 2008 जिसका निर्णय माननीय उच्च न्यायलय द्वारा 19.10.'10 को दिया गया, की अनुपालना में किया गया है। माननीय उच्च न्यायलय के उक्त निर्णय के पैरा नम्बर 3 के अनुसार "In view of the above discussion the petition is allowed and it is directed that petitioner pay shall be recalculated by treating him to be a regular employee since 1988 and there after he shall be given benefit of revision of pay scale when it fell due w.e.f 1-1-96. It is however made clear that the arrear payable to petitioner shall be payable only w.e.f 1-6-96 since the petition was filed in may 1999 and the monetary benefit are being restricted for the period of three years. The entire amount due and payable to the petitioner along with interest @6% per annum shall be paid to him before 30-4-2011 failing which the respondent No 2 shall be liable to pay interest @ 12% per annum. The petition is dispered of accordingly. No order as to cost."

उक्त निर्णय मे ंस्पष्ट किया गया कि श्री हरपाल सिंह सफाई सेवक की सेवा अवधि 1988 से नियमित मानकर वेतन का पुनः गणना की जाए व तदानुसार उसे 1.1.96 से संषोधित पे–स्केल का लाभ देते हुए 1.6.96 से 30.5.99 तक का 3 वर्षों का बकाया वेतन का भुगतान 6% वार्षिक दर से किया जाए। निर्णय मे ंपुनः स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय लाभ केवल तीन वर्षों तक ही सीमित होगा लेकिन नगर पंचायत ज्वालामुखी द्वारा उक्त कर्मचारी का बकाया वेतन के वित्तीय लाभ 3 वर्षों (अर्थात 1.6.96 से 30.5.99) के स्थान पर 14 वर्ष 9 माह अर्थात (अवधि 1.6.96 से 31.3.11) के लिए किया गया है तथा उस पर प्रतिवर्ष 6% ब्याज प्रदान करने के कारण उक्त कर्मचारी को निम्न विवरणानुसार ₹198845/–का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

¼d½ vof/k 1-6-96 ls 30-5-99 dk fy, ns; cdk;k osru dk fooj.k fuEufyf[kr izdkj ls g%&

vof/k	ns; osru ewy osru$egxkbZ HkÙkk	fn;k x;k osru ewy osru@egxkbZ HkÙkk	vUrj	ekg	jkf'k
1.6.96 से 30.6.96	2920	2620	300	1	300
1.7.96 से 30.9.96	3037	2725	312	3	936
1.10.96 से 31.10.96	3245	2725	520	1	520
1.11.96 से 31.12.96	3245	2829	416	2	832
1.1.97 से 30.6.97	3370	2938	432	6	2592
1.7.97 से 30.9.97	3526	3074	452	3	1356
1.10.97 से 31.10.97	3639	3074	565	1	565
1.11.97 से 31.12.97	3639	3187	452	2	904
1.1.98 से 30.6.98	3735	3271	464	6	2784
1.7.98 से 30.9.98	3928	3440	488	3	1464
1.10.98 से 31.10.98	4063	3440	623	1	623
1.11.98 से 31.12.98	4036	3562	501	2	1002
1.1.99 से 30.5.99	4396	3854	542	5	2710
			बकाया वेतन का कुल योग		16588

6% वार्षिक दर से ब्याज (अवधि 1.6.99 से 31.3.11 तक 12 वर्ष 10 माह)	12769
d|y ;kx	₹29357

¼[k½ अवधि 1.6.96 से 31.3.11 के लिए किया गया बकाया वेतन का भुगतान ₹228139/–

¼x½ अन्तर (₹228139–₹29357) ₹198782

अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर आवष्यक जांच करके तथा कानून विषेषज्ञः से परामर्ष लेकर अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

23 uxj iapk;r deZpkfj;ksa dks fo'ks"k osru dh :i esa ₹124358@&o okgu HkÙkk dh :i esa ₹80750@&vFkkZr dqy ₹205108@&dk xyr ,oa vfu;fer Hkqxrku&

नगर पंचायत के 42 कर्मचारियों जिनमें 15 सफाई सेवक, 10 बेलदार, 10 टोल गार्ड, 1 माली, 1 मेट, 1 जमादार, 2 चपड़ासी,1 चौकीदार व 1 क्लीनर सम्मिलित है, को ₹100/–प्रतिमाह की दर से विषेष वेतन भत्ता व ₹50/– प्रतिमाह वाहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है जो कि नियमानुसार देय नहीं है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न परिषिष्ट "ग" में दिए गए विवरण के अनुसार अवधि 1.1.06 से 30.6.12 के दौरान भुगतान किए गए विषेष वेतन/वाहन भत्तों की ₹205108/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यदि 1.1.06 से पूर्व में इन भत्तों का भुगतान इन कर्मचारियों को किया गया हो तो उसकी वसूली भी सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिष्चित की जाए।

24 ,0lh0ih0 ds vUrxZr iznku dh xbZ osru o`f) dk fu/kkZfjr okLrfod nj ls vf/kd iznku djus ds dkj.k uxj iapk;r deZpkfj;ksa dks osru ,oa HkÙkksa ds :i esa ₹30643@&dk xyr ,oa vf/kd Hkqxrku&

नगर पंचायत ज्वालामुखी के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रदान की वेतन वृद्धि का निर्धारण वास्तविक दर से अधिक करने के कारण वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹30643/–का गलत एवं

अधिक भुगतान किया गया है जिसका विस्तृत विवरण परिषिष्ट (घ) पर सलग्न है। अतः सम्पूर्ण ₹30643/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	deZpkjh dk uke ,oa inuke	olwyh tkus okyh jkf'k
1	श्री फिरोज दीन, टोल गार्ड	985
2	श्री सुकर दीन, टोल गार्ड	985
3	श्री सतीष कुमार, टोल गार्ड	985
4	श्री राज कमल, टोल गार्ड	985
5	श्री उधम सिंह, टोल गार्ड	985
6	श्री हरवंष सिंह, टोल गार्ड	985
7	श्री प्यार चन्द, टोल गार्ड	985
8	श्री वली मुहम्मद, टोल गार्ड	985
9	श्री धर्म प्रकाष, चपड़ासी	985
10	श्री कैलाष ख्न्द, बेलदार	985
11	श्री देष राज, बेलदार	985
12	श्री षक्ति चन्द, बेलदार	985
13	श्रीमति पुष्पा देवी, सफाई कर्मचारी	985
14	श्री हरि लाल, सफाई कर्मचारी	985
15	श्री सेवक राम, सफाई कर्मचारी	985
16	श्री सरण दास, क्लीनर	956
17	श्री राजेष कुमार, बेलदार	833
18	श्री राम गोपाल, सफाई कर्मचारी	833
19	श्री कुषल कुमार, टोल गार्ड	833
20	श्री टिक्कम सिंह, सफाई कर्मचारी	833
21	श्रीमति विषनी देवी, सफाई कर्मचारी	809
22	श्री ओम प्रकाष मिस्त्री	780

23	श्री पवन कुमार, मिस्त्री	985
24	श्री बॉवी दयाल, पलम्बर	985
25	श्री राकेष चन्द, वरिष्ठ क्लर्क	735
26	श्री राजेष कुमार, ए0डी0एम0	1243
27	श्रीमति प्रवीण कुमारी, सफाई कर्मचारी	651
28	श्रीमति षीला देवी, सफाई कर्मचारी	651
29	श्री सुनील कुमार, बेलदार	651
30	श्री हेम राज, टोल गार्ड	707
31	श्री ओकार चन्द, माली	953
32	श्री मद लाल, सफाई कर्मचारी	812
33	श्री विपिन चन्द, क्लर्क	764
34	श्री कुलजीत सिंह, वरिष्ठ क्लर्क	854
	dqy ;ksx	₹30643

25 l'kkf/kr osruekuksa dh cdk;k jkf'k;ksa esa ls rFkk o"kZ 2010&11 osru esa ls fu/kkZfjr njksa ds vuq:i vk;dj dh dVkSrh u djus ds dkj.k vk;dj dh ₹46033@&dh de dVkSrh¼&

¼d½ दिनांक 1.1.06 से लागू हुए संषोधित वेतनमानों के फलस्वरूप अवधि 1.1.06 से 31.8.08 के बकाया वेतन की राषियों पर नियमानुसार निर्धारित दरो से आयकर कटौती न करने के कारण वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयकर के रूप में नगर पंचायत के कर्मचारियों से निम्न विवरणानुसार ₹41209 ⁄ – की कम कटौती की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा कम कटौति की गई राषि की सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूली करके अपेक्षित राषि चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई जाए।

Ø0 l0	deZpkjh dk uke o inuke	fu;ekuqlkj vis{kr vk;dj dh jkf'k dVkSrh	dkVh xbZ vk;dj dh	vk;dj dh de dVkSrh

1	कंचन बाला, सचिव	14257	5703	8554
2	राकेश चन्द, व0 लिपिक	7562	3025	4537
3	कुलजीत सिंह,व0 लिपिक	7577	3031	4546
4	विपिन चन्द, क्लर्क	5589	—	5589
5	कमल कान्त, जे0ई0	4871	1949	2924
6	राकेश कुमार, सहायक प्रारूपकार	7752	3103	4649
7	ओम प्रकाष, मिस्त्री	5783	2313	3470
8	पवन कुमार, मिस्त्री	5783	2313	3470
9	बॉबी दयाल, पलम्बर	5783	2313	3470
		आयकर की कम कटौती		₹41209

¼[k½ इसके अतिरिक्त नगर पंचायत में कार्यरत्त निम्नलिखित कर्मचारियों के फार्म नम्बर–16 व वार्षिक वेतन विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारियों की वार्षिक वेतन विवरणियों के अनुसार आयकर की कटौती अधिक बनती है जबकि वास्तव में उनके वेतन से आयकर की कम कटौती की गई है। अतः सम्बन्धित कर्मचारियो के वेतन से आयकर की कटौती कम करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब अपेक्षित आयकर की कटौती वेतन से करने उपरान्त सम्पूर्ण राषि सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0l0	deZpkjh dk uke o inuke	ns; vk;dj dh jkf'k	dkVh xbZ vk;dj dh jkf'k	0klyh ;kX; jkf'k
1	श्री कुलजीत सिंह,व0 लिपिक	5617	2652	2965
2	श्री कमल कान्त, कनिष्ठ अभियन्ता	11838	10424	1414
3	श्री राकेश कुमार, (वरिष्ठ लिपिक)	4575	4384	191
4	श्री ओम प्रकाष, मिस्त्री	817	563	254
			dy ;kx	4824

26 Jh e|d'k d|ekj lQkbl l|od }kjk 39 fnu dk vlk/kkj.k vodk'k fpfdRlk iek.k i= d cxj 0;rhr djus d ckotn orru ,o HkŸkk d :i e ₹9727@&dk xyr ,o vf/kd Hkxrku&

उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार 39 दिनों का असाधारण अवकाश बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के व्यतीत किया गया है।

Ø0l0	vlk/kkj.k vodk'k dh vof/k	dy fnu
1	24.4.09 से 4.5.09	11 दिन
2	18.1.10 से 1.2.10	15 दिन
3	11.7.10 से 23.7.10	13 दिन
	dy	39 fnu

उक्त विवरणानुसार 39 दिनों का असाधारण अवकाश व्यतीत करने के बावजूद भी श्री मुकेष कुमार सफाई सेवक को निम्न विवरणानुसार ₹9767/–का अधिक वेतन का भुगतान किया गया है।

vof/k	ldy orru	vlk/kkj.k vodk'k	olyh
24.4.09 से 30.4.09	6825	7 दिन	6825/30X7=1592
1.5.09 से 4.5.09	6825	4 दिन	6825/31X4=881
18.1.10 से 31.1.10	7756	14 दिन	7756/31X14=3503
1.2.10	7756	1 दिन	7756/28X1=277
11.7.10 से 23.7.10	8285	13 दिन	8285/31X13=3474
		;kx	₹9727

नियमानुसार असाधारण अवकाष की अवस्था में उक्त कर्मचारी को असाधारण अवकाष अवधि का वेतन एवं भत्ते देय नहीं है। अतः ₹9727/—की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 uxj ipk;r Tokyke[kh d deipkfj;k d vodk'k [kkr e mud }kjk 0;rhr fd, x, vftr vodk'k dh ifof"V;k MfcV u dju d dkj.k rFkk xyr 'k"k mBku d dkj.k okLrfod 'k"k vodk'k d LFkku ij vf/kd 'k"k vodk'k n'kkuk&

नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं व व्यक्तिगत नस्तियों की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अर्जित अवकाष की प्रविष्टियों को उनके अवकाष खाते में डेबिट न करने के कारण तथा गलत षेष उठाने के कारण उनके अवकाष खातों में वास्तविक षेष अवकाष के स्थान पर अधिक षेष अवकाष दर्षाया गया है। नगर पंचायत द्वारा जिन कर्मचारियों के अवकाष खाते में वास्तविक षेष अवकाष के स्थान पर अधिक षेष अवकाष दर्षाया गया है उनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

deipkjh dk uke ,o inuke	okLrfod 'k"k vodk'k	n'kk;k x;k 'k"k vodk'k	vUrj	fVIi.kh
उधम सिंह, टोल गार्ड	273	284	11 दिन	अवधि 10.3.08 से 20.3.08 तक व्यतीत 11 दिन के अर्जित अवकाष की डेबिट प्रविष्टि न करना
षीला देवी, सफाई सेवक	40	55	15 दिन	दिनांक 31.12.07 को अर्जित अवकाष 13 दिन के स्थान 28 दिन उठाया गया है।
दीपा देवी,	37½	48½	11 दिन	जमा/घटाव की गलत गणना

सफाई सेवक				
राम सिंह, सफाई सेवक	15	40	25 दिन	दिनांक 22.2.08 से 4.3.08=12 दिन, दिनांक 8.12.08 से 20.12.09=13 दिन अर्थात कुल 25 दिन के व्यतीत अर्जित अवकाष की डेबिट प्रविष्टि न करना।

अतः उक्त कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किए गए अर्जित अवकाष की डेबिट प्रविष्टियां न करने तथा गलत षेष इत्यादि उठाए जाने के कारण स्पष्ट किए जाए व तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के अर्जित अवकाष के खातों में प्रविष्टियां डेबिट की जानी सुनिष्चित की जाए तथा जमा/घटाव इत्यादि से सम्बन्धित षेषों को भी ठीक करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 tUe frfFk e: fojks/kkHkkl gksuk%&

श्रीमति षीला देवी सफाई सेवक की जन्म तिथि प्रथम नियुक्ति के आदेषों में 20.4.1956 दर्षाई गई है व सी0एम0ओ0 देहरादून/चिकित्सा बोर्ड के अनुसार उक्त कर्मचारी की जन्मतिथि 20.9.1953 दर्षाई गई है जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी की जन्म तिथि में विरोधाभास है। अतः संस्था स्तर पर आवष्यक जांच करके उक्त कर्मचारी की जन्म तिथि का सही आंकलन नियमानुसार करवाया जाए व तदानुसार सेवा पंजिका में उक्त कर्मचारी की जन्म तिथि दर्षाई जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 Jh v'kksd dqekj lqn Bsdsnkj dks ₹47582@&dk vf/kd ,oa xyr Hkqxrku%&

श्री अषोक कुमार, ठेकेदार को वाऊचर संख्या 56 (1) व 56 (2) दिनांक 5.5.10 के अन्तर्गत क्रमषः ₹253701/–व ₹204785/– अर्थात कुल ₹458486/–का भुगतान नए बस स्टैन्ड व पुराने बस स्टैन्ड में वारिंग व मैटलिंग का कार्य करने के कारण किया गया। उक्त कार्य के टेण्डरों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य की मद संख्या–4 "Premixed Carpet consolidation thick single crushed pre carpet surfacing with .27cm stomne chipping" हेतु सम्बन्धित संविदाकार द्वारा ₹89/–प्रति वर्गमीटर व ₹890/–प्रति 10 वर्ग मीटर हेतु दर भरी गई थी जिसकी स्वतः प्रमाणिक प्रविष्टि उक्त संविदाकार द्वारा भरी गई DNIT में दर्ज है जिसे बाद में टैम्परिंग करने उपरान्त ₹890/–को ₹1090/–बनाया गया प्रतीत होता है

लेकिन प्रति वर्ग मीटर दर ₹89 यथावत है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त संविदाकार को अनैतिक अधिक एवं गलत लाभ पहुंचाने के प्रयोजन से ऐसा किया गया है। फलस्वरूप उक्त मद संख्या 4 के अन्तर्गत उक्त संविदाकार को 2379.08 वर्ग मीटर हेतु ₹200 (₹1090–₹890) प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से ₹47581.60/– अर्थात ₹47582/–का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि नगर पंचायत ज्वालामुखी की टैण्डर प्रतियां त्रुटी पूर्ण है तथा उक्त कार्य हेतु प्राप्त टैण्डरों को खोलने पर अति आवष्यक प्रमाण पत्र Number. of cuttings व Number. of overwriting का प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है जबकि इसके पूर्व व बाद में खोले गए टैन्डरों पर उपरोक्त प्रमाण पत्र अंकित है। अतः संस्था स्त्तर पर आवष्यक जांच के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त दर टैम्परिंग करके किस स्त्तर पर बढ़ाई गई तथा बढ़ी हुई दर से भुगतान करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की ₹47582/–की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा यदि उक्त के अतिरिक्त भी संविदाकार द्वारा कार्य की मात्रा निष्पादित की गई हो तो उसकी भी तदानुसार वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

30 Jh v'kkd dekj ln] Bsdnkj dk ₹9758@&dk xyr ,o vf/kd Hkqxrku%&

कार्य का नामः– अमर चन्द के हाऊस से मन्दिर ज्वालामुखी तक के रास्ते का मुरम्मत कार्य

ठेकेदार का नाम श्री अषोक कुमार सूद

अनुमानित लागत ₹95360/–

ठेका आबंटन राषि ₹128650/–

प्रतिषतता 34.90 % (मानक दर सूची के ऊपर)

कुल लागत ₹163646/–

प्रथम चलित बिल=माप पुस्तिका संख्या 40, पेज नं0 98 से 99

अन्तिम बिल=माप पुस्तिका संख्या 43, पेज नं0 1 से 2

वाऊचर संख्या 299, दिनांक 23.3.10

उपरोक्त बिलों की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिलों में सम्बन्धित संविदाकार को टैन्डर में भरी गई दरों से अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण निम्न विवरणानुसार ₹9758/–का गलत एवं अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली सम्बन्धित

संविदाकार से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	en dk uke	ek=k	mDr en gsrq Bsdsnkj }kjk Hkjh xbZ nj	ftl nj ij Hkqxrku fd;k x;k	vUrj	xyr ,oa vf/kd Hkqxrku
1	P/L C.C. 1:6:12	(8-19+2 10.19m3	1250	1345	95	968
2	C.C, Flooring 1:2:4 50 MM thick	(737.10+141.92)879.02m2	155	165	10	8790
				dqy olwyh		₹9758

31 Jh jkt dqekj lafonkdkj dks ₹5800@&dk vf/kd ,oa xyr Hkqxrku%&

कार्य का नामः– वार्ड नं. 5 में घलौण नाला से नसीरूदीन के घर तक रास्ते का निर्माण

संविदाकार का नामः– श्री राज कुमार

बिलः– द्वितीय एवं अन्तिम

माप पुस्तिका नं0ः– 42

पेज नं0ः– 17 व 18

वाऊचर संख्या 249, दिनांक 9.2.10

उक्त कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार को निम्न मदों हेतु समझौता वार्ता की दरों (Negotative Rates) (जिसका उल्लेख तुलनात्मक विवरणी में उल्लेखित है) के स्थान पर अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण ₹5800/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

Ø0 l0	en dk uke	ek=k	Lke>kSrk okrkZyki dh nj	nh xbZ nj	vUrj	vf/kd ,oa xyr Hkqxrku dh olwyh ;kX; jkf'k
1	PP/L stone soling	26.93m3	450	498	48	1292.50
2	P/L C.C. 1:6:12	26.93m3	1150	1325	175	4507.50
				dqy ;kx		₹5800-00

अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार राजकुमार से की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 LVkd eas lheUV u gksus ds ckotwn 25 cSx lheUV dk vf/kd tkjh fd;k x;k n'kkZuk&

सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि दिनांक 7.3.09 को स्टॉक में 325 बैग षेष थे व दिनांक 9.3.09 को 75 बैग जारी किए गए। इस प्रकार सीमेन्ट की षेष मात्रा 250 बैग बनती थी जबकि उक्त षेष मात्रा 250 बैग की जगह 275 बैग षेष दर्षाई गई है व तदानुसार ही 275 बैग सीमेन्ट विभिन्न कार्यो हेतु जारी किया व खपत किया दर्षाया है जो कि कदापि सम्भव नहीं हो सकता। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जांच करके तदानुसार

अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

33 lfonkdkj ogh ¼**Contractor Ledger**½ r;kj u djuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण अवधि 1.4.09 से 31.3.12 के दौरान 9360 बैग सीमेन्ट का क्रय एवं विभिन्न कार्यो हेतु जारी किया गया दर्षाया है उक्त सीमेन्ट जिन–2 कार्यो हेतु जिस–2 ठेकेदार को जारी किया गया है उसका लेखा जोखा संविदाकार वही (Contractor Ledger) में कार्यवार रखना अनिवार्य था ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि जिस–2 कार्य हेतु जिस–2 संविदाकार को जितनी–2 मात्रा में सीमेन्ट जारी किया गया है उतनी मात्रा के मूल्य की वसूली सम्बन्धित संविदाकार के बिल से कर ली गई है परन्तु नगर पंचायत द्वारा उक्त संविदाकार वही तैयार नहीं की है जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी किए गए 9360 बेग सीमेन्ट के मूल्य की वसूली अनुबन्ध की षर्तों के अनुसार सम्बन्धित संविदाकार से करने की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः संविदाकार वही तैयार न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा संविदाकार वही (Contractor Ledger) कार्यवार तैयार की जाए ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न संविदाकारों को जारी सीमेन्ट के मूल्य की वसूली अनुबन्ध की षर्तों अनुसार सम्बन्धित संविदाकारों के बिलों को भुगतान करने से पूर्व कर ली गई है। इस सन्दर्भ में अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 LVhV ykbV grq [kjhns x, fctyh d lkeku ₹89910@&d lUnHk eas&

नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार वाउचर संख्या 157(1) तथा 157 (2) दिनांक 20.6.11 के अन्तर्गत मैसर्ज संजय इलैक्ट्रोनिक्स ज्वालामुखी को ₹89910/–का भुगतान स्ट्रीट लाईट हेतु खरीदे गए बिजली के सामान हेतु किया गया है। बिजली के समाान का यह क्रय दिनांक 24.6.10 को आमन्त्रित टैण्डरों के आधार पर किया गया दर्षाया गया है व सामान की अनुमानित लागत 3 लाख दर्षाई गई है।

¼d½ okÅpj u- 157¼1½ fnukd 20-6-11

Ø0 l0	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	सी0एफ0एल0 फिक्सचर	50	1075	53750

2	सी0एफ0एल0 बल्ब, 65 वॉट	20	500	10000
3	सी0एफ0एल0 बल्ब, 35 वॉट	40	230	9200
4	टयूब रॉड, 40 वॉट	30	103	3090
5	टेप रोल	30	9	270
6	पी0वी0सी0 तार रोल, 6 एम0एम0	4	1250	5000
7	किट केट, 100 एम्पीयरर	10	290	2900
				86160

¼[k½ okÅpj u0 157 ¼2½ fnukad 20-6-11

1	पी0वी0सी0 तार रोल 6 एम0एम0	3	1250	3750
	(क) व (ख) का कुल योग			89910

उक्त क्रय से सम्बन्धित पूर्व में आमन्त्रित टैन्डरों की जांच करने पर पाया गया कि इसके लिए निम्नलिखित तीन फर्मों द्वारा टैन्डर भरे गए हैः—

श्री अषोक कुमार सूद, ज्वालामुखी

अखिल सूद, टिहरी

संजय इलैक्ट्रोनिक्स, ज्वालामुखी

इन बिल/टैन्डरों की जांच पर निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है जिनका समाधान किया जाए।

¼**i**½ उक्त सामान की आपूर्ति हेतु अषोक कुमार सूद व अखिल सूद के टैन्डर वैद्य टैन्डर नहीं है क्योंकि उक्त दोनों ठेकेदार सिविल कार्यों के है तथा बिजली के सामान की आपूर्ति हेतु टैन्डर डालने हेतु अधिकृत ठेकेदार नहीं है।

¼**ii**½ उक्त खरीद गए ₹89910/— के सामान की मांग व खपत से सम्बन्धित प्रमाणिक अभिलेख भी नगर पंचायत में उपलब्ध नहीं है। केवल क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित पी0वी0सी0 तार रोल 6 एम0एम0 की मांग सुकरदीन व सतीष कुमार द्वारा 3 रोल दी है जिसे मूल आवेदन में टैम्परिंग उपरान्त 6 रोल बनाया गया प्रतीत होता है व तदानुसार 3 रोल की जगह 6 रोल की खपत दर्षाकर 3 रोल पी0वी0सी0 तार 6 एम0एम0 की खपत अधिक दर्षाई गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं अथवा 3 रोल पी0वी0सी0 तार के वास्तविक मूल्य ₹3750/—की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼**iii**½ उक्त कार्य हेतु निविदाएं आमन्त्रित करने से पूर्व विस्तृत सूचना अर्थात प्रचार एवं प्रसार नहीं किया गया था केवल उक्त कार्य की सूचना स्थानीय कार्यालयों में चिपकाई गई थी जैसा कि चर्चा के दौरान अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया गया था। अतः इस अनियमितता के कारण स्पष्ट किए जाएं।

¼**iv**½ बिजली का उक्त सामान उपक्रम अथवा हिमाचल प्रदेष सरकार से दर संविदा प्राप्त फर्म से क्रय नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

35 el l t vf[ky vkWVk dk ₹1400@&dk xyr ,o vf/kd Hkxrku&

नगर पंचायत द्वारा वाऊचर संख्या 281, दिनांक 12.3.10 के अन्तर्गत ₹7740/–का भुगतान मैसर्ज अखिल ऑटो ज्वालामुखी को नगर पंचायत के टिप्पर नम्बर एच0पी0 36–3200 की सर्विस एवं मुरम्मत करवाने के कारण किया गया। यह कार्य निविदाओं के आधार पर करवाया गया है। मैसर्ज अखिल ऑटों की निविदा की जांच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा Hub Geasing +Break Leather Change 4 Wheels की दर ₹1600/– अंकित की थी परन्तु फर्म द्वारा सर्विस व मुरम्मत हेतु दिए गए बिल संख्या 2540 दिनांक 29.8.09 की जांच करने पर पाया गया कि चारों पहियों के Break Leather Change नहीं किए गए है केवल चार पहियों की हव ग्रीसिंग की गई है। नियमानुसार उसे चार पहियों की ही ग्रीसिग हेतु अधिकतम ₹200/– (₹50 प्रति पहियों की दर से) देय थे। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा बिना बिल की जांच किए उपरोक्त फर्म को केवल 4 पहियों की हव ग्रीसिंग के लिए ₹1600/–का भुगतन कर दिया गया जिसके कारण उक्त फर्म ₹1400/– का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है। अतः अधिक एवं गलत भुगतान की गई राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

36 gh.M dkV ¼jgfM;k½ d Ø; d ckj e&

¼d½ वाऊचर संख्या 286 दिनांक 15.3.10 के अन्तर्गत मैसर्ज हिमालय मोर्डन इन्जीनियरिंग वर्कस ज्वालामुखी को ₹27563/–का भुगतान 5 हैन्ड कार्ट क्रय करने पर किया गया है। उक्त बिल की जांच करने पर पाया गया कि 5 हैन्ड कार्ट का मूल्य ₹4850/– प्रति हैन्ड कार्ट की दर से ₹24250/–बनता है जबकि उक्त फर्म को ₹24500/–भुगतान किए गए है तथा फलस्वरूप ₹250/–बेसिक मूल्य के रूप में व ₹32/–मूल्य वर्धित टैक्स के रूप में अधिक भुगतान किए गए। अतः अधिक एवं गलत भुगतान ₹282/–की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ उक्त रेहड़ियो का क्रय निविदाओं के आधार पर किया गया है। उतः उक्त रेहड़ियों का क्रय हिमाचल प्रदेष एग्रो इन्डस्ट्रीज जो कि एक सरकार उपक्रम है व ज्वालामुखी में इसकी षाखा है, से न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

37 [kjhn x, lkeku dh LVkd iafof"V;k o mi;kx ls lEcfU/kr vfHkys[k iLrqr u djuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वाउचरों के अन्तर्गत ₹2553/–का सामान क्रय किया गया है।

ok0 l0	fnukd	Qe dk uke ,o irk	Lkkeku dk fooj.k	ek=k	nj	eY;
319 (1)	31.3.10	बूटा मल सोहन लाल मन्दिर मार्ग 2 ज्वालामुखी	पान्जा	2 नं0	125	250
			दराट	4	150	600
						850
					वैट 12½ %	106
						956
319 (2)	31.3.10	बूटा मल सोहन लाल मन्दिर मार्ग 2 ज्वालामुखी	बेलचा	2	160	320
			गैन्ती	2	190	380
						700
					वैट 12½ %	87.50

					787-50
				भुगतान	787.00
319 (3)	31.3.10	बूटा मल सोहन लाल मन्दिर चाम्ब मार्ग–2 ज्वालामुखी	6	120	720
					720
				वैट 12½ %	90
					810
		Øe la[;k 1 ls 3 rd dk dqy ;ksx			2553

उपरोक्त व्यय वाऊचरों के अन्तर्गत खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां व उपभोग से सम्बन्धित अभिलेख स्टॉक रजिस्टर में मौजूद नहीं है। स्टॉक प्रविष्टियां व उपभोग से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में खरीद गए सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः वांन्छित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त इन्हें सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्ततु किए जाएं।

38 LVkWd jftLVjksa esa okLrfod 'ks"k dh txg de 'ks"k n'kkZuk&

¼d½ अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों में विभिन्न प्रकार के सामान की मदों का वास्तविक षेष से कम षेष दर्षाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

fnukad	en dk uke	vkjfEHkd 'ks"k	izkIr fd;k x;k lkeku	dqy ;ksx	tkjh fd;k x;k	vfUre 'ks"k	n'kkZ;k x;k 'ks"k	vUrj
27.10.09	एल्यूमीनियम चोक 40 वॉट	26	–	26	1	25	24	1
29.7.10	पी0बी0सी0 सर्विस वायर 6	35 मीटर	–	35	25	10	षून्य	10 मी0

	एम0एम0			मीटर	मी0	मी0		
24.6.11	स्टार्टर	31	—	31	3	28	27	1
षून्य	व्हील बैरो	2	—	2	1	1	षून्य	1
3.8.09	फिनाईल ल्यूकड/फिनाईल घोल	7 लीटर	—	7 लीटर	2 ली0	5 ली0	3 ली0	2 ली0
20.1.12	सी0एफ0एल0 बल्ब होल्डर	12	20	32	—	32	20	12

अतः उपरोक्त उल्लेखित सामान के वास्तविक षेष से कम षेष दर्षाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस त्रुटि का सुधार करके कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्टॉक रजिस्टरों में दर्षाए गए सामान के अन्तिम षेष को आरम्भिक षेष उठाते समय कम षेष उठाया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

fnukd	en dk uke	vfUre 'k"k	fnukd	vkjfEHkd 'k"k	n'kk;k x;k vkjfEHkd 'k"k	vUrj
15.6.11	फ्लैक्सीवल तार 40/76	30 मी0	20.1.12	30 मी0	षून्य	30 मी0

अतः उपरोक्त उल्लेखित सामान के अन्तिम षेष को आरम्भिक षेष उठाते समय वास्तविक षेष से कम षेष दर्षाने के कारण स्पष्ट किए जाए इस त्रुटि का सुधार करके कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

39 fpfdRlk iqfrZiwfrZ fcyksa dk :i esa ₹1095@&dk vfu;fer ,oa xyr Hkqxrku%&

नगर पंचायत के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जांच में निम्नलिखित अधिक व गलत भुगतान किए गए पाए गए।

¼d½ okÅpj l[;k 296 fnukd 22-3-10 d vUrxr Jh vfuy dekj] pkdhnkj dk fpfdRlk ifrifr O;; d :i e ₹525@&dk vf/kd ,o xyr Hkxrku&

वाऊचर संख्या 296 दिनांक 22.3.10 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार चौकीदार को ₹1042/–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में भुगतान किए गए है। उक्त बिल के अन्तर्गत 21 टैबलेट क्लोवासील की ₹525/–नियमानुसार देय नहीं है। अतः ₹525/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

¼[k½ okÅpj l[;k 659 ¼i½ fnukd 9-3-11 d vUrxr Jh fofiu pUn] Dydl dk fpfdRlk ifrifr O;; d :i e ₹467@&dk vf/kd ,o xyr Hkxrku&

वाऊचर संख्या 659 (i) दिनांक 9.3.11 के अन्तर्गत श्री विपिन चन्द क्लर्क को ₹665/–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में भुगतान किए गए है। उक्त बिल के अन्तर्गत 30 टैबलेट थियोस्पास की ₹467/–नियमानुसार देय नहीं है। अतः ₹467/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

¼x½ okÅpj l[;k 659 ¼4½ fnukd 9-3-11 d vUrxr Jh vfuy dekj] pkdhnkj dk fpfdRlk ifrifr O;; d :i e ₹103@&dk vf/kd ,o xyr Hkxrku&

वाऊचर संख्या 659 (4) दिनांक 9.3.11 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार, चौकीदार को ₹796/–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में भुगतान किए गए है। उक्त बिल के अन्तर्गत कैडीलूज–54 की ₹103/–नियमानुसार देय नहीं है। अतः ₹103/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

40 ;k=k HkÙk d :i e ₹2376@&dk vfu;fer vkj vf/kd Hkxrku&

¼d½ श्री विपिन चन्द क्लर्क द्वारा दिनांक 3.2.10 को सुबह 4:40 बजे ज्वालामुखी से षिमला के लिए प्रस्थान व 2:00 बजे बाद दोपहर षिमला पहॅुचा दर्षाया गया है व यात्रा का उद्देष्य कम्पयूटर प्रषिक्षण आई0टी0 षिमला दर्षाया है तथा दिनांक 4.2.10 को सुबह 6 बजे षिमला से ज्वालामुखी के लिए प्रस्थान व 4:30 बजे सायं ज्वालामुखी पहॅुचा दर्षाया है। उक्त यात्रा का उद्देष्य अर्थात आई0टी0 षिमला में केवल तीन घंटे का प्रषिक्षण प्राप्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 3 घंटे की अवधि का कोई कम्पयूटर प्रषिक्षण नहीं होता है व न ही उक्त कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित संस्था से उक्त 3 घंटे का प्रषिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत

किया है। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारी के प्रषिक्षण प्राप्त करने के आदेष भी अभिलेख में मौजूद नहीं है। अतः उक्त यात्रा को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा ₹460/–की वसूली उचित स्त्रोत कर्मचारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼[k½ श्री कुषल कुमार टोंल गार्ड को माह 1/10 व 2/10 हेतु ₹1014/–का यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान किया गया है जबकि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार ₹834/–ही देय है। अतः अधिक भुगतान की गई ₹180/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी सें की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼x½ श्री ज्योति षंकर नगर पंचायत सदस्य को ₹252/–का यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया है जो कि नियमानुसार उन्हें देय नहीं है क्योंकि नगर पंचायत सदस्य को यात्रा भत्ता बिल नगर पंचायत निधि से देने का नगर पालिका अधिनियम 1994 में कोई प्रावधान नहीं है। अतः ₹252/–की वसूली सम्बन्धित नगर पंचायत सदस्य से की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼?k½ ;k=k HkÙkk fcyk d: :i e: ₹1224@&dk vfu;fer Hkqxrku½&

वाऊचर संख्या 136 (1) के अन्तर्गत ₹1056/–का यात्रा बिल का भुगतान श्री कुलजीत सिंह को व वाऊचर संख्या 136 (2) के अन्तर्गत ₹168/–का भुगतान श्री विपिन कुमार को दिनांक 30.6.11 को किया गया है। इन बिलों की जांच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित कर्मचरियों द्वारा की गई यात्रा निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित था तथा तदानुसार बिल का दावा निर्वाचन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना व निर्वाचन कार्यालय से ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था लेकिन नियमों के विपरीत उक्त कर्मचारियों को ₹1056/–व ₹168/– अर्थात कुल ₹1224/–का भुगतान नगर पंचायत निधि से किया गया है जो कि अनियमित है। अतः सम्पूर्ण राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त यह राषि नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼3½ Jh eg'k 'kek b0vk0 dk ;k=k HkÙk d: :i e: ₹260@&dk vf/kd ,o xyr Hkqxrku½&

वाऊचर संख्या 290 दिनांक 18.3.10 के अन्तर्गत श्री महेष षर्मा ई0ओ0 पालमपुर को यात्रा भत्ते के रूप में ₹3560/–का भुगतान किया गया है। उक्त अधिकारी द्वारा लगातार 3

दिन दिनांक 18.1.10, 19.1.10 व 20.1.10 को पालमपुर से ज्वालामुखी व वापिस पालमपुर की यात्रा की गई दर्षाई है जो कि यात्रा नियमों के विपरीत है। उक्त अधिकारी के पास नगर पंचायत सचिव का अतिरिक्त कार्यभार था लेकिन अगर उक्त अधिकारी का लगातार 3 दिन नगर पंचायत में कार्य करना अनिवार्य था तब उस अवस्था में भी उन्हें दिनांक 18.1.10 को आने की व 19.1.10 को ज्वालामुखी ठहराव व 20.1.10 को वापिसी का यात्रा भत्ता ही देय था। अतः संस्था स्तर पर आवष्यक जांच करके यात्रा भत्ता नियमों के विपरीत भुगतान की गई ₹260/–की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिष्चित की जाए।

41 y/kq vkifŸk foojf.kdk%& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

42 fu"d"kZ%& लेखों के रख रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :–(V)26फिन(एल0ए0डी0)खण्ड–6 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

iathd`r%&1- सचिव, नगर पंचायत ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिष्चित करे।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

4 श्री राज कुमार, अ0अ0 द्वारा..............................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

ifjf'k"V "d"

xr vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu&

¼i½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@74 l 03@76

1	पैरा 15 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 15 (सी)	अनिर्णीत

¼ii½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@78 l 03@79

1	पैरा 8(i)	अनिर्णीत

¼iii½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@79 l 03@81

1	पैरा 17 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 17 (बी)	अनिर्णीत

¼iv½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifrounu vof/k 04@83 ls 03@85

1	पैरा 16(12)	अनिर्णीत
2	पैरा 16(24)	अनिर्णीत

¼v½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifrounu vof/k 04@85 ls 03@88

1	पैरा 17 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा 17 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 8 (2)	अनिर्णीत
	(क्रम संख्या 8, 16, 20, 21, 27, 28, 29 व 30)	
5	पैरा 8 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा 13(1)	अनिर्णीत
9	पैरा 13(7)	अनिर्णीत
10	पैरा 13(8)	अनिर्णीत
11	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत
14	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
15	पैरा 13(8)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(1)	अनिर्णीत

17	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 14(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 14 (7)	अनिर्णीत
20	पैरा 14(8)	अनिर्णीत
21	पैरा 14(10)	अनिर्णीत
22	पैरा 14(12)	अनिर्णीत
23	पैरा 14(14)	अनिर्णीत
24	पैरा 14(15)	अनिर्णीत
25	पैरा 14(16)	अनिर्णीत
26	पैरा 14(20)	अनिर्णीत
27	पैरा 14(23)	अनिर्णीत

¼vi½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@88 ls 03@91

1	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 11(4) (5)	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा 12 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 12 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा 13 (1)	अनिर्णीत
9	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
10	पैरा 15 (3) (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा 15 (3) (घ)	अनिर्णीत

12	पैरा 15 (12)	अनिर्णीत
13	पैरा 15 (14)	अनिर्णीत
14	पैरा 15 (18)	अनिर्णीत
15	पैरा 15 (19)	अनिर्णीत
16	पैरा 15 (22)	अनिर्णीत
17	पैरा 15 (25)	अनिर्णीत
18	पैरा 15 (30)	अनिर्णीत
19	पैरा 15 (34)	अनिर्णीत
20	पैरा 15 (40)	अनिर्णीत
21	पैरा 15 (47)	अनिर्णीत
22	पैरा 15 (52)	अनिर्णीत
23	पैरा 15 (63)	अनिर्णीत
24	पैरा 15 (73)	अनिर्णीत
25	पैरा 16 (3)	अनिर्णीत
26	पैरा 16 (7)	अनिर्णीत
27	पैरा 16 (19)	अनिर्णीत
28	पैरा 17 (11)	अनिर्णीत

¼vii½ vid{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@91 ls 03@92

1	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा 11 (क)	अनिर्णीत
6	पैरा 11 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा 18	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21 (छ)	अनिर्णीत

¼viii½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@92 l 03@96

1	पैरा 5	अनिर्णीत	
2	पैरा 6	अनिर्णीत	
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8	अनिर्णीत	
5	पैरा 10	अनिर्णीत	
6	पैरा 11	अनिर्णीत	
7	पैरा 12	अनिर्णीत	
8	पैरा 14	अनिर्णीत	
9	पैरा 17	अनिर्णीत	
10	पैरा 18	अनिर्णीत	
11	पैरा 19	अनिर्णीत	
12	पैरा 24 (ञ)	निर्णीत	(₹3000 / – की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
13	पैरा 24 (ढ)	निर्णीत	(₹641 / – की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
14	पैरा 24 (त)	अंषतः निर्णीत	(₹52 / – की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
15	पैरा 28 (क)	अनिर्णीत	
16	पैरा 28 (ख)	अनिर्णीत	
17	पैरा 28 (ग)	अनिर्णीत	
18	पैरा 29	अनिर्णीत	
19	पैरा 30	अनिर्णीत	
20	पैरा 67	अनिर्णीत	
21	पैरा 68	अनिर्णीत	
22	पैरा 83	अनिर्णीत	

¼ix½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@96 l 03@05

1	पैरा 4(iv)	निर्णीत	(₹2136 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)

2	पैरा 5	अनिर्णीत	
3	पैरा 7	अंषतः निर्णीत	
4	पैरा 10	अंषतः निर्णीत	(₹4850 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
5	पैरा 11	निर्णीत	(₹11993 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
6	पैरा 14	निर्णीत	(₹3679 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
7	पैरा 15	निर्णीत	(₹3582 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
8	पैरा 17	अनिर्णीत	
9	पैरा 18	अनिर्णीत	
10	पैरा 20	निर्णीत	(₹720 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
11	पैरा 21	निर्णीत	(₹675 / –की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
12	पैरा 23	निर्णीत	(₹5200 / –की वसूली व अप्रयोग्य बची टिकटों की सत्यापना उपरान्त)
13	पैरा 24	निर्णीत	(अप्रयोग्य बची टिकटों की सत्यापना उपरान्त)
14	पैरा 25	निर्णीत	(₹1003 / –की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
15	पैरा 26	निर्णीत	(₹1325 / –की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
16	पैरा 27	अंषतः निर्णीत	
17	पैरा 28	निर्णीत	(₹200 / –की वसूली की सत्यापना उपरान्त)
18	पैरा 29	अनिर्णीत	
19	पैरा 30	अंषतः निर्णीत	
20	पैरा 31	अंषतः निर्णीत	
21	पैरा 32	अनिर्णीत	
22	पैरा 33	अनिर्णीत	
23	पैरा 34	अनिर्णीत	
24	पैरा 35	अनिर्णीत	
25	पैरा 36 (अ)	अनिर्णीत	

26	पैरा 37	अंषतः निर्णीत	
27	पैरा 38 (1)	अनिर्णीत	
28	पैरा 38 (2)	अनिर्णीत	
29	पैरा 39	अनिर्णीत	
30	पैरा 40	अनिर्णीत	
31	पैरा 41	अनिर्णीत	
32	पैरा 42	अनिर्णीत	
33	पैरा 44 (ए)	निर्णीत	(₹2790/–की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
34	पैरा 44 (बी)	अनिर्णीत	
35	पैरा 45 (ए से ई)	अंषतः निर्णीत	
36	पैरा 46	अनिर्णीत	
37	पैरा 47	अनिर्णीत	
38	पैरा 48	अनिर्णीत	
39	पैरा 49	अनिर्णीत	
40	पैरा 50	अनिर्णीत	
42	पैरा 51	अनिर्णीत	
43	पैरा 52	अनिर्णीत	
44	पैरा 53	अनिर्णीत	
45	पैरा 54	अनिर्णीत	
46	पैरा 55	अनिर्णीत	
47	पैरा 56	अनिर्णीत	
48	पैरा 57	अनिर्णीत	
49	पैरा 58	अनिर्णीत	
50	पैरा 59	अनिर्णीत	
51	पैरा 60	अनिर्णीत	
52	पैरा 61	अनिर्णीत	
53	पैरा 62	अनिर्णीत	
54	पैरा 63	अंषतः निर्णीत	

55	पैरा 64	अनिर्णीत
56	पैरा 65	अनिर्णीत
57	पैरा 66	अनिर्णीत
58	पैरा 67	अनिर्णीत
59	पैरा 68	अनिर्णीत
60	पैरा 69	अनिर्णीत
61	पैरा 70	अनिर्णीत
62	पैरा 71	अनिर्णीत
63	पैरा 72	अनिर्णीत
64	पैरा 73	अनिर्णीत
65	पैरा 74	अनिर्णीत
66	पैरा 75	अनिर्णीत

¼x½ vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@05 ls 03@07

1	पैरा 1	अनिर्णीत	
2	पैरा 3 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा 3 (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा 3 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा 3 (घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा 4 (ख)	अनिर्णीत	
8	पैरा 4 (ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा 4 (घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा 4 (ङ)	अनिर्णीत	
11	पैरा 5 (क)	अषतः निर्णीत	(₹5829/–की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
12	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
13	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत	

14	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत
18	पैरा 7 (क)	अनिर्णीत
19	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
20	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
22	पैरा 7 (ङ)	अनिर्णीत
23	पैरा 7 (च)	अनिर्णीत

¼xi½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifrosnu vof/k 04@07 ls 03@09

1	पैरा 4 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 4 (ख) (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 4 (ख) (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 4 (ख) (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4 (ङ) (1)	अनिर्णीत
8	पैरा 4 (ङ) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा 4 (ङ) (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 4 (ङ) (4)	अनिर्णीत
10	पैरा 4 (च)	अनिर्णीत

11	पैरा 4 (छ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 4 (ज)	अनिर्णीत	
13	पैरा 4 (ञ)	अनिर्णीत	
14	पैरा 4 (ट)	अनिर्णीत	
15	पैरा 4 (ठ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 4 (ड)	अनिर्णीत	
17	पैरा 4 (ढ)	अनिर्णीत	
18	पैरा 4 (ण)	अनिर्णीत	
19	पैरा 5 (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा 5 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा 5 (ग)	अंषतः निर्णीत	(₹2950/—की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
22	पैरा 5 (घ)	अनिर्णीत	
23	पैरा 5 (ङ)	अनिर्णीत	
24	पैरा 5 (च)	अनिर्णीत	
25	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत	
26	पैरा 6 (ख)	अनिर्णीत	
27	पैरा 6 (ग)	अंषतः निर्णीत	(₹264/—की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
28	पैरा 6 (घ)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत	
31	पैरा 6 (छ)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6 (ज)	अनिर्णीत	
33	पैरा 6 (झ)	अनिर्णीत	
34	पैरा 6 (ञ) (1)	अनिर्णीत	
35	पैरा 6 (ञ) (2)	निर्णीत	(₹3000/—की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
36	पैरा 6 (ट)	अनिर्णीत	
37	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत	
38	पैरा 6 (ड)	अनिर्णीत	
39	पैरा 6 (ढ)	अनिर्णीत	

40	पैरा 6 (ण)	अनिर्णीत
41	पैरा 6 (त)	अनिर्णीत
42	पैरा 7 (क) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा 7 (क) (2)	अनिर्णीत
44	पैरा 7 (क) (3)	अनिर्णीत
45	पैरा 7 (ख)	अनिर्णीत
46	पैरा 7 (ग)	अनिर्णीत
47	पैरा 7 (घ)	अनिर्णीत
48	पैरा 7 (ङ)	अनिर्णीत
49	पैरा 7 (च)	अनिर्णीत
50	पैरा 7 (छ)	अनिर्णीत
51	पैरा 7 (ज)	अनिर्णीत
52	पैरा 8	अनिर्णीत
53	पैरा 9	निर्णीत
54	पैरा 10	अनिर्णीत